

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान ,जयपुर

क्रमांक:- सं.27-3(5)/पदो/अभि/2022/5619-35 दिनांक:- 18/05/2022

:- आदेश :-

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 36 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी को संस्थापन अधिकारी के पद पर वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के पे मैटिक्स लेवल -15 में पदोन्नत किया जाता है ।

क्रं. सं.	कार्मिक का नाम	वर्ग	वर्तमान पदस्थापन स्थान	रिक्ति जिसके विरुद्ध चयन किया गया	विवि
1	2	3	4	5	6
01.	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशन लाल	एस.सी (सामान्य पद के विरुद्ध चयनित)	स0नि0अ0 ,कोटा	01.04.2022	-
02.	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मुन्नालाल	सामान्य	स0नि0अ0 ,जयपुर प्रथम	01.04.2022	-

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक का संस्थापन अधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थापन आदेश अलग से जारी किया जावेगा। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक पं0 13(5) साप्र/3/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 10.05.2022 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

sd
(चंचल मिश्रा)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव ,निदेशक अभियोजन ।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन /न्याय राजस्थान जयपुर ।
3. समस्त उप निदेशक अभियोजन (मु.) सहित ।
4. सहायक निदेशक अभियोजन जयपुर प्रथम/कोटा ।
5. संस्थापन अधिकारी अभियोजन निदेशालय ।
6. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक वरिष्ठ) अभियोजन निदेशालय ।
7. सम्बन्धित कार्मिकद्वारा :- सहायक निदेशक अभियोजन
8. रक्षित पत्रावली ।

18/5/22
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर